एलआइसी से बोनस दिलाने के नाम पर ठगी

-आनलाईन फ्राड करने वाले तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
-साउथ जोन की नौबस्ता पुलिस को मिली बड़ी सफलता
-हंसपुरम के व्यापारी से आनलाईन ठगे थे 11415890/-रूपये

कानपुर: एलआइसी से बढ़ा हुआ बोनस का लालच देकर व्यापारी से आनलाइन ठगी करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को साउथ जोन की थाना नौबस्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल महिला समेत तीन अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गये अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विधिक कारवाई कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक स्वाट टीम/साइबर सेल के मु0अ0सं0 26/23 धारा 406/420/388/506 भादवि0 के विवेचना से प्राप्त खाता धारको का नाम व ATM से पैसा निकालते CCTV फोटेज प्राप्त होने तथा इनके संबंध मे जानकारी व गिरफ्तारी के लिये थाना पिलखुवा जिला हापुड पहुँच कर थाना पिलखुआ जिला हापुड़ की पुलिस की मदद से कुलदीप पुत्र स्व0 भुल्लन सिंह नि0 म0नं0 693 निकट चन्डी मंदिर आर्य नगर थाना पिलकुवा जिला हापुड के पते पर आये जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि वह रेलवे स्टेशन गया है, इस सूचना पर रेलवे स्टेशन पिलखुआ के सामने से अभियुक्त कुलदीप पुत्र स्व0 भुल्लन सिंह नि0 म0नं0 693 निकट चन्डी मंदिर आर्य नगर थाना पिलकुवा जिला हापुड को तथा अभियुक्त कुलदीप पुत्र भुल्लन की निशादेही पर दूसरे अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र स्व0 बलजीत सिंह नि0 ग्रा0 परतापुर थाना पिलखुआ जिला हापुड को उसके घर ग्राम परतापुर थाना पिलखुआ जिला हापुड़ से तथा रोहित कुमार व कुलदीप की की निशादेही पर सचिन बन्सल S/O दयाचन्द बन्सल नि0 H-37 खानपुर जब्ती लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष को उसके निवास स्थान से समय करीब 15.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2023 धारा 406/420/388/506/411/120बी भादवि0 पंजीकृत अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वे एक गिरोह बनाकर फोन कर लोगों को झाँसा देकर जालसाजी कर कम समय में ज्यादा पैसा देने का लालच देकर उनसे पैसा ले लेते हैं, और उस पैसे को अपने बताये गये खातों मे डलवाते हैं, हंसपुरम निवासी व्यापारी ईश्वरचंद्र शर्मा से

भी एलआइसी से बढ़ा हुआ बोनस दिलाने के नाम पर ठगी की थी। कुलदीप के खाता संख्या IDFC बैंक में खाता संख्या 10096197535 कुल 2765300/- रूपये व कुलदीप के दूसरे खाता HDFC बैंक खाता संख्या 50100535020025 में कुल 1191300/- रूपये डलवाये थे, और एटीएम से पैसा निकाल लिया जिसमे कुलदीप को मैने 6% दिया था, और रोहित कुमार को लगभग ढाई लाख रूपया दिया था, और राहुल, रेखा और आकाश त्यागी मिलकर बाँट लेते थे।

नाम पता अभियुक्तः-

1.कुलदीप पुत्र स्व0 भुल्लन सिंह नि0 म0नं0 693 निकट चन्डी मंदिर आर्य नगर थाना पिलकुवा जिला हापुड उम्र 28 वर्ष

2.रोहित कुमार पुत्र स्व0 बलजीत सिंह नि0 ग्रा0 परतापुर थाना पिलखुआ जिला हापुड उम्र 28 वर्ष

3.सचिन बन्सल पुत्र दयाचन्द बन्सल नि0 H-37 खानपुर जब्ती लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष

बरामदगीः- कुल 20,210/- रुपया, 06 अदद एटीएम कार्ड, 07 अदद टच स्क्रीन मोबाइल, 03 अदद कीपैड मोबाइल, एक अदद कार स्विफ्ट UP14FK4020

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्मचारीगणः- प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद पाण्डेय, उ0नि0 हजरत अली, उ0नि0 अजय गंगवार स्वाट टीम/साइबर सेल,हे0का0 शमशाद अली स्वाट टीम/साइबर सेल,हे0का0 1478 धीरेन्द्र कुमार स्वाट टीम/साइबर सेल, हे0का0 पुनीत कुमार स्वाट टीम/साइबर सेल, कां0 पंकज सरोहा स्वाट टीम/साइबर सेल शामिल रहे।